

19

सुप्रीम कोर्ट की कंपनी का कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट की  
1. कि वह कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

सुप्रीम कोर्ट की कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

उपरोक्त कर्तव्य एक पारदर्शक होना चाहिए।  
जो लोग के मतों को सुनना चाहिए।

कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

उपरोक्त कर्तव्य एक पारदर्शक होना चाहिए।  
जो लोग के मतों को सुनना चाहिए।

कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

उपरोक्त कर्तव्य एक पारदर्शक होना चाहिए।  
जो लोग के मतों को सुनना चाहिए।

कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

उपरोक्त कर्तव्य एक पारदर्शक होना चाहिए।  
जो लोग के मतों को सुनना चाहिए।

कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

उपरोक्त कर्तव्य एक पारदर्शक होना चाहिए।  
जो लोग के मतों को सुनना चाहिए।

कंपनी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की  
विचारणीय सीमा के अंदर ही रखे।

उपरोक्त कर्तव्य एक पारदर्शक होना चाहिए।  
जो लोग के मतों को सुनना चाहिए।